

कार्यालय निदेशक सेकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/267-2001 वि (1) दिनांक चण्डीगढ़ 10-7-2001

टी.आर.एच. पब्लिक स्कूल बादली (झज्जर) को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली, से मैट्रिक तक स्तर की सम्बद्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1995 के जो नियम बनने पर वह विद्यालय को मान्य होंगे।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।

आर.डी. श्योकंद

निदेशक सेकण्डरी शिक्षा विभाग हरियाणा,
चण्डीगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक संख्या

दिनांक

चण्डीगढ़ 10-7-2001

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. जिना शिक्षा अधिकारी झज्जर को उनके पत्र क्रमांक / स्था-3-2001/620 दिनांक 6-7-2001 के संदर्भ में।
2. मुख्याध्यापक टी. आर. एच. पब्लिक स्कूल बादली (झज्जर)।
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कम्युनिटी सेटर प्रीत विहार नई दिल्ली 110092

21

सहायक निदेशक विद्यालय-
कृते: निदेशक सेकण्डरी शिक्षा विभाग
चण्डीगढ़

